	को पेश हो। 21/1/26	
22/12/25	पक्ष. वादी अधिवक्ता आप प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर आप तलब की जाकर पेश हुई वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है जिस कारण वादी दावा को विड्रो करना चाहता है उक्त बाबत वादी द्वारा आर्डशीट पर भी हस्ताक्षर की गई किसी प्रति वादी अधिवक्ता द्वारा की गई अतः दावा वादी विड्रो किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।	श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री भगवान सिंह राजीनामा होगया मुकदमा में की खारिज कीया जाय। रामजीलाल 22/12/25

पक्ष फैसल शुमार हो, नकल से कम हस्ब दाखिल कमाल हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर